न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 335/2025(GCMS : 2025/464)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा उद्योग विहार (31720), श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सुलभ दाधिच, मुख्य प्रबन्धक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय –4, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

<u>**बनाम**</u>

मैसर्स बालाजी फ्यूल इंडस्ट्रीज जरिये प्रोपराईटर श्री ओम प्रकाश गिरी मार्फत जी–1–361, उद्योग विहार, फेस–2, रिको, श्रीगंगानगर – 335001 निवासी वार्ड नं. 3, गांव 16 बीएनब्ल्यू (श्यामसिंहवाला) पोस्ट ऑफिस – श्यामसिंहवाला, जिला श्रीगंगानगर–335062

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>02.12.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी मैसर्स बालाजी फ्यूल इंडस्ट्रीज–प्रो. ओम प्रकाश गिरी को ऋण सुविधा के रूप में 30.00/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 31.03.2015 प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 07.06.2025 को 19,52,112/– रूपये की ऋण राशि भुगतान से बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी ओम प्रकाश गिरी द्वारा बंधक रखी अपनी अचल इंडस्ट्रियल सम्पत्ति प्लॉट नं. जी–1–361 (कॉर्नर) उद्योग विहार, फेस–2, इंडस्ट्रियल एरिया श्रीगंगानगर (राज.), बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 850 वर्गमीटर है (जिसकी चारों सीमाएं पूर्व– ई टाईप प्लॉटस, पश्चिम–रोड़, उत्तर–रोड़ एवं दक्षिण– प्लॉट नं. जी–1–361(ए)),** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी मैसर्स बालाजी [illegible] ट्रीज प्रो. श्री ओम प्रकाश** को **30.00/–** लाख रूपये का ऋण की [illegible] दिनांक **31.03.2015 को प्रदान की गई** थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ओम प्रकाश गिरी ने अपनी अचल **इंडस्ट्रियल सम्पत्ति** [illegible] **नं. जी–1–361 (कॉर्नर)** उद्योग विहार, फेस–2, इंडस्ट्रियल एरिया श्रीगंगानगर (राज.), बैंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:52:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 850 वर्गमीटर है (जिसकी चारों सीमाएं पूर्व– ई टाईप प्लॉटस, पश्चिम–रोड़, उत्तर–रोड़ एवं दक्षिण– प्लॉट नं. जी–1–361(ए)), प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 14.03.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन. पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 07.06.2025 को अप्रार्थी को जारी कर, दिनांक 29.06.2025 को रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये है, जिसकी पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं प्राप्ति का ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो गई हैं

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थी ओम प्रकाश गिरी की अचल इंडस्ट्रियल सम्पत्ति प्लॉट नं. जी–1–361 (कॉर्नर) उद्योग विहार, फेस–2, इंडस्ट्रियल एरिया श्रीगंगानगर (राज.), बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 850 वर्गमीटर है (जिसकी चारों सीमाएं पूर्व– ई टाईप प्लॉटस, पश्चिम–रोड़, उत्तर–रोड़ एवं दक्षिण– प्लॉट नं. जी–1–361(ए)),** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 07.06.2025 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 07.06.2025 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के [illegible] अप्रार्थी को दिनांक 29.06.2025 को पोस्ट ऑफिस क[illegible] भिजवाया है, पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक के [illegible] 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है। परिणामस्वरूप धारा 13(2) के नो[illegible] भिजवाने की पोस्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:52:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

ऑफिस की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी ओम प्रकाश गिरी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी ओम प्रकाश गिरी द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल इंडस्ट्रियल सम्पत्ति प्लॉट नं. जी–1–361 (कॉर्नर) उद्योग विहार, फेस–2, इंडस्ट्रियल एरिया श्रीगंगानगर (राज.), बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 850 वर्गमीटर है (जिसकी चारों सीमाएं पूर्व– ई टाईप प्लॉटस, पश्चिम–रोड़, उत्तर–रोड़ एवं दक्षिण– प्लॉट नं. जी–1–361(ए)), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:52:09 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक [illegible].12.2025 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर